कार्यालय कलेक्टर (सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण) जिला देवास मध्य–प्रदेश
(समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन)
(चामुण्डा काम्पलेक्स चतुर्थतल ए.बी.रोड देवास)
दुरभाष नं. 07272–254928 e-mail-pswdew@mp.nic.in

क्रमांक / समग्र / सा.सु.मि. / 2017 / 1710 देवास,दिनांक 12/9/17

विज्ञप्ति

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग देवास में सामाजिक सुरक्षा मिशन अन्तर्गत जिला स्तर पर एक कम्प्युटर आपरेटर सह सहायक ग्रेड –3 के संविदा स्वीकृत पद पर संविदा आधार पर उल्लेखित शर्तो के तहत पदपुर्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :–

क्र	पद का नाम	पद की संख्या	मानदेय प्रतिमाह
1	2	3	4
1	कम्प्युटर आपरेटर सह सहायक ग्रेड–3 (संविदा पर)	01 (एकल पद होने से अनारक्षित)	13000 / प्रतिमाह

अर्हताऐं :–

1 ए.आई.सी.टी.ई / UGC.के मान्यता प्राप्त विश्वविघालय / बोर्ड से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री के साथ PGDCA.उत्तीर्ण । अथवा ए.आई.सी.टी.ई / यू.जी.सी.के मान्यता प्राप्त विश्वविघालय / बोर्ड से बी.एस.सी(कम्प्यूटर साईस)बी.सी.ए.(आई.टी)उत्तीर्ण । अथवा
ए.आई.सी.टी.ई / UGC के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / बोर्ड से BSC (computer science)/BCA/BSC.(IT) उत्तीर्ण / समकक्ष अर्हता ।

2 मेप आई.टी.द्वारा जारी सी.पी.सी.टी.स्कोर कार्ड कम्प्युटर दक्षता के साथ हिन्दी एवं अग्रेजी (दोनो) सेक्शन उत्तीर्ण हो । (म.प्र.शा.सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन का ज्ञाप क्र सी3–8 / 2013 / 1 / 3 दिनाक 1जूलाइ 2013 एवं पत्र कमांक सी.3–15 / 2014 / 1 / 3 दिनांक 26फरवरी 2015 द्वारा जारी निर्देशो के तहत)

3 उपरोक्त समस्त योग्यता आवेदन तिथि के पूर्व धारित होना अनिवार्य है ।

पात्रता :–

1–- उम्मीदवार मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए ।

2– नियुक्ति हेतु उम्मीदवार की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिये । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति , अन्य पिछडा वर्ग ,निःशक्तजन एवं महिलाओं के लिये आरक्षित पदो पर अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देते हूए आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी । आयु सीमा दिनांक 1 जनवरी 2017 की स्थिति में परिगणित की जाएगी

आरक्षण :–

मध्य प्रदेश के स्थायी आवेदकों में परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत ग्रीन कार्ड धारी ,आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछडावर्ग को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार आरक्षण प्रभावशील होगा ।

नियुक्ति की शर्तें :–

1– संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जावेगा ।

2– नियुक्ति के पश्चात जिले के मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी (CMHO)का (fitness) चिकित्सा प्रमाण–पत्र,कार्य पर उपस्थित होने के अधिकतम 07 दिन की अवधि में अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा ।

3– नियुक्त संविदा कर्मचारी की सेवाएं निर्धारित अवधि के एक माह के नोटिस पर समाप्त की जा सकेगी , इस हेतु जिला कलेक्टर सक्षम अधिकारी होगें ।

4– नियुक्त संविदा कर्मचारी एक माह का पूर्व नोटिस देकर अथवा एक माह का पारिश्रमिक नगद जमा कर संविदा सेवा से त्यागपत्र दे सकता है ।

5– नियुक्त संविदा कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/निर्देश के समग्र या इससे संबंधित कोई भी सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति/संस्था/विभाग को किसी भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेगा ।

6– कार्यालय में संविदा सेवा अवधि के दौरान अन्य किसी भी प्रकार के संस्थानों/कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी प्रकार के व्यापार/व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लागू रहेगा ।

7– नियुक्त संविदा कर्मचारी मध्य प्रदेश में कर्मचारियों पर लागू आचरण नियमों से बाध्य होगा ।

8– नियुक्त संविदा कर्मचारी को शासन /कलेक्टर द्वारा समय–समय पर सौपे गए अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य भी संपादित करने होंगें ।

9– नियुक्ति पत्र में दर्शायी तिथि तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।

10– नियुक्त संविदा कर्मचारी को आधारभूत एवं उसके दायित्वों से संबंधित प्रशिक्षण में अनिवार्यतःभाग लेना होगा ।

11– नियुक्त संविदा कर्मचारी का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जावेगा चरित्र के सबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति , बिना कोई कारण बताये तत्काल रद्द कर दी जावेगी ।

12– नियुक्त संविदा कर्मचारी को कदाचार या किसी अपराधिक कियाकलाप में संलग्न होने पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी संविदां नियुक्ति समाप्त कर सकेगें ।

13– नियुक्त संविदा कर्मचारी उसके पदस्थापना के स्थान पर कार्य्र भार ग्रहण करने की तिथि से संविदा में माना जावेगा । यदि संविदा पर नियुक्त कोई व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से 01 माह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।

14– चयनित उम्मीदवारों में से कम से कम दो उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची बनाई जावेगी ।

15– चयनित सूची की वेधता सामान्यतः एक वर्ष के लिये होगी ।

16– प्रथम संविदा अवधि एक वर्ष के लिये होगी । वर्षान्त पर का कार्य का वार्षिक मूल्यांकन किया जावेगा मूल्याकन के आधार पर उपयुक्त होने पर 1 वर्ष के लिए पुनः संविदा पर नियुक्त किया जा सकेगा इस तरह संविदा नियुक्ति में 2 बार वृद्धि की जा सकेगी अर्थात कुल संविदा अवधि तीन वर्ष के लिये हो सकेगी।

कलेक्टर एवं जिला मिशन लीडर
जिला देवास म0प्र0

आवेदन पत्र का प्ररूप

प्रति,

उपसंचालक,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
चामुण्डा कॉम्पलेक्स देवास म.प्र.

पास पोर्ट साईज फोटो

विषयः–

01– आवेदन का नाम (हिन्दी में) ————————————————

02– पिता/पति का नाम ————————————————

03– अग्रेजी केपिटल अंक्षर में ————————————————

04– जन्मतिथि (दिन/माह/वर्ष) ————————————————

05– लिंग एवं जाति ————————————————

06– वर्तमान पता ————————————————

07– जाति————————————————

07– अर्हताऐं :–

(1)

अ.क	स्नातक डिग्री का नाम	विश्वविद्यालय/बोर्ड का नाम	पूर्णाक	प्राप्ताक	प्रतिशत	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा नहीं
1	2	3	4	5	6	7

(2)

अ.क	कम्प्युटर दक्षता/हिन्दी/अंग्रेंजी उत्तीर्ण जारीकर्ता विश्व विद्यालय/बोर्ड	कम्प्युटर दक्षता प्रतिशत	हिन्दी उत्तीर्ण प्रतिशत	अंग्रेजी उत्तीर्ण प्रतिशत	उत्तीर्ण दिनांक
1	2	3	4	5	6

1– समस्त अभिलेखों की छाया प्रतिया एवं स्वयं सत्यापित । मय संलग्नक ।

2– उपरोक्त समस्त योग्यता आवेदन तिथि के पूर्व धारित होना अनिवार्य है ।

घोषणा–पत्र

मै शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूॅ कि आवेदन पत्र में दी गई सभी जानकारी मेरे ज्ञान एवं विवेक से पूर्णतः सत्य है, जानकारी अस्त्य या गलत पाई जाने पर मेरा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावे ।

स्थानः–
दिनांक

प्राथी का नाम हस्ताक्षर